

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं02(01)चिस्वा/2/2024/ई-13741

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0जयपुर।

विषय:- डॉ. धर्मचंद खत्री, कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीसिया) राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़, को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. धर्मचंद खत्री, कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीसिया) राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़, (जन्मतिथी 20.05.1962), जो 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. खत्री के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(प्रीति माथुर)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
- 3- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़।
- 4- डॉ. धर्मचंद खत्री, कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीसिया) राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़।
- 5- रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

RajKaj Ref
6993148



Signature valid

Digitally signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government

Date: 2024.05.16 11:13:32 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-429/2024/164

दिनांक : 1-6-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प06(01)चिस्वा/2/2024/ई-13741 जयपुर दिनांक 16.05.2024
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी हनुमानगढ़ ।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
8. डॉ0 धर्म चन्द खत्री, कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थिसिया) द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7843277

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date : 07-06-2024 11:38:08